an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Motor Vechicles (Amendment) Bill, 2014 (Discussion not Concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Item No. 15.

Hon. Members, before we take up consideration of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014, we have to allot time for the discussion. If the House agrees, we may allot two hours for this Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, usually every Bill is referred to the Standing Committee or the Select Committee. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is over.

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : What is the hurry? I do not understand this. Sir, you take the history. All legislations were sent to the Standing Committee. Now, every Bill is being passed without sending it to the Standing Committee. I am not able to understand as to why it is not referred to the Standing Committee. Is it because our strength is short? ...(*Interruptions*) Sir, you have got a lot of experience. In the rarest of the rare case, a Bill, without being referred to the Standing Committee, is discussed and passed. Now, every Bill is passed without being referred it to the Standing Committee. Is it right? ...(*Interruptions*) Sir, if you are fully convinced, I do not have any objection. ...(*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Sir, all the Bills are referred to the Standing Committee usually. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is there. I am not denying that. The hon. Speaker accepted and approved this Bill for discussion in the House and the House also agreed now. Therefore, two hours' time can be allotted for this Bill.

Now, the hon. Minister.

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I will give one example. You will be surprised to know one thing. When I was a Minister, there was one Bill, that is, the Migrant Workers Bill and I wanted to change only the title in order to make it gender neutral. I wanted to make the title as 'The Migrant Workers Act' instead of 'The Migrant Workmen Act'. In the Rajya Sabha, the Opposition at that time demanded that it should go to the Standing Committee.

16.00 hrs

Then, the same Rudy Saheb referred this Act to the Standing Committee; and it is still pending there. It may come today or tomorrow. It was for only one word. He confused me on that issue...(*Interruptions*) Now, he is laughing...(*Interruptions*)

There was just one word. Instead of 'workman', I wanted to make it a 'worker'...(*Interruptions*) This is your U-turn.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, my only humble submission is this...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You do not agree...(*Interruptions*) How many examples should I give? I can give innumerable examples...(*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Khargeji, you said, I confused you to get that Bill sent to the Standing Committee. The only submission here is that we do not get confused. That is my only submission...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, just a minute. Let Prof. Saugata Roy make his point.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, you just mentioned that you should allot time for this Motor Vehicles (Amendment) Bill. I am not saying anything on the merit of the Bill. But the rules of the House say that there would be a Business Advisory Committee headed by the Speaker, which will allot time for different items. That is the function of the Business Advisory Committee. It is the business of the Government to decide when which Bill would come. Now, are we subsuming the role of the Business Advisory Committee and bringing the functioning of the Business Advisory Committee into the House? We have no objection because the Business Advisory Committee meeting is held in the Chamber of the Speaker, good snacks are given there; so Members may discuss...(*Interruptions*) Do you decide about the time of an item outside? Are you doing that? Let us decide whether we give up the Business Advisory Committee altogether. Let us decide it.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, कल बात आई थी, आज भी बात आई कि संसदीय लोकतंत्र की एक मर्यादा और परम्परा है। हम सबसे सर्वोच्च संस्था हैं। क्या हम नियम को नहीं मानेंगे, कार्य मंत्रणा समिति को नहीं मानेंगे, संसदीय परम्परा को नहीं मानेंगे? बीच-बीच में बिल लाना और पास कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you raised the issue regarding the allotment of time. Even though Business Advisory Committee had allotted one hour for an item, we some time extend the time by one hour or even beyond, depending upon the importance of the item. So, the House has every right to allot and extend the time, if required. The Business Advisory Committee decides the time, it is a fact. But at the same time, the House has also the right, if required, to extend the time of any item being discussed.

Now, let us proceed with the Bill. Yes, Mr. Gadkari.

Hon. Members, if the House agrees, we are allotting two hours to this Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir, we agree.

HON. DEPUTY-SPEAKER: So, the time allotted for this item is two hours.

...(*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : हम नियम से बंधे हुए हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister is replying. Let him speak, now.

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI NITIN GADKARI): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, would you say anything at this stage?

SHRI NITIN GADKARI: Yes, Sir...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEKAER: Let the Minister speak.

...(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : We want two answers on this question from the Government. Are we ruling out the process of the Business Advisory Committee? Are we overruling the process of the Standing Committees?â€¦ (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: We are not overrunning anything.

...(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : How can we discuss it? It must go to the Standing Committee...(*Interruptions*)

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister is replying. Let us hear him.

...(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA : Sir, we want your ruling. You are the custodian of the House...(*Interruptions*)

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लाखों बेरोजगार लोगों का धंधा बंद है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

You are raising a demand and the House has to decide it. Now, the House has decided to take up this Bill.The Minister is replying. In your speech, you may say whatever you want to say.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.

Shri P. Karunakaran, please listen to me. I am on my legs. Please take your seat. Also, in the Companies (Amendment) Bill, which we discussed and passed, the Members had made the demand to refer it to the Standing Committee at the last stage. So, you have every right to say and the House can decide it at that time. Therefore, the Minister can proceed now. You have every right to speak.

श्री नितिन गडकरी : मैं सम्माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि ई-रिक्शा चलाने वाले भी गरीब हैं और उसमें चलने वाले भी गरीब हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद यह रिक्शा बंद है, लाखों लोगों को रोजगार नहीं हैं, वे घर बैठे हैं, उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। इसलिए अर्जेंसी करके गरीबों के हितों के लिए काम करना है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने मांग की है, आपकी पार्टी ने मांग की है। ...(व्यवधान) आज मैं सदन को यह बात महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहता हूं कि गरीब लोगों के लिए यह बिल है जो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, उसके जीवन से संबंधित है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद रिक्शा बंद है। उसका रोजगार बंद है, उसके पास रोजी-रोटी का साधन नहीं है और जो गरीब आदमी है, वह कहीं नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति है जब तक कानून में सुधार नहीं होगा तब तक ई-रिक्शा चालू नहीं होगा। गरीबों को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीब लोग उसमें चल नहीं पाएंगे। इसलिए गरीब आदमी के हितों के लिए सहयोग कीजिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है। आप ई-रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी का विरोध क्यों कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में करीब एक करोड़ ऐसे लोग हैं, जो मेहनत करके लोगों को ढोने का काम करते हैं, यह अमानवीय प्रथा है। अगर ह्यूमन राइट्स की तरह बात करेंगे तो इस तरह आदमी को आदमी द्वारा ढोना, आदमी द्वारा बोझ को अपने कंधे पर रखकर ले जाना, यह अमानवीय है। इस प्रथा को बंद होना चाहिए और उसे भी ई-एनर्जी का उपयोग करके चलाना चाहिए। इन गरीब लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इस भावना से इस बिल को लाया गया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: No, the Minister is on his legs. Let him complete. I will call you afterwards.

श्री नितिन गडकरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगर वे सुनेंगे तो निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। पहली बार जब यह बात आई थी तो हमने इसको मोटर व्हिकल एक्ट से एक्जम्ट कर दिया था, किंतु मोटर व्हिकल एक्ट से एक्जम्ट करने के बाद इसकी तुलना साइकिल से होने लगी। उसके बाद एक एक्सिडेंट हुआ, एक्सिडेंट होने के बाद मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने के लिए मना कर दिया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोटर व्हिकल एक्ट के अनुसार नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। उसके बाद इसको परमिशन मिलनी चाहिए, इस प्रकार का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के कारण दिल्ली में जो ई-रिक्शा चल रहे थे, वे बंद हो गए, पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की। इसके बाद में हमने इसके अध्ययन के लिए टेरी नाम की संस्था को कहा। उसके अध्ययन में आया कि दिल्ली में 53 प्रकार के रिक्शे चलते हैं। उसके बाद यह बात भी आई कि इन रिक्शों में जो मोटर लगते हैं उसमें भी अलग-अलग वॉट के मोटर पाए गए। इसलिए जब इंश्योरेंस की बात आई तो कोर्ट के निर्णय के कारण इसे मोटर व्हिकल एक्ट में लेने की आवश्यकता पड़ी। जब यह बात आई तो साधारणतः एक बात यह हुई कि 25 सीसी से जो कम ईंजन है उसको मोटर व्हिकल एक्ट से एक्जम्शन किया गया था। टेरी के अध्ययन के अनुसार जो ई-रिक्शे थे उनमें 250 वॉट से अधिक के ईंजन लगे थे, इनकी स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल आदमियों को लेकर चलने वाली रिक्शा है, लेकिन जो हाथ से खींच कर ले जाने वाले लोग हैं, वे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। एक वैद्यकीय सर्वे में आया है कि कई जगह इन लोगों को कैंसर हुआ है, कहीं टी.बी. हुआ है। ये गरीब लोग इस प्रकार के असाध्य रोगों के शिकार बने हुए हैं। इससे इनके जीवन की आयु भी कम हुई है, इसलिए इस अमानवीय प्रथा को हमारी सरकार समाप्त करना चाहती है। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, ई-गवर्नेंस हो, इनोवेशन हो और उसके साथ-साथ हम गरीबों को राहत दें। इसमें ई-गवर्नेंस भी है ...(व्यवधान)

मै आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल में केवल दो ही सुधार हैं, जिनके बारे में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे एक्ट में यह प्रावधान है कि आठवीं पास होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ...(व्यवधान) इस बिल में यह सुधार हुआ है कि आठवीं पास की कंडीशन को निकाला गया है और जो भी व्यक्ति बेरोजगार है और वह रिक्शा चलाना चाहता है, वह लर्निंग लाइसेंस लेकर चला सकता है। एक महीने में उसे यह लाइसेंस मिलेगा, जिससे वह रिक्शा चला सकेगा।

दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट के निर्णय के कारण इसे चलाने के लिए पहले कमर्शियल लाइसेंस लगता था। कमर्शियल लाइसेंस के लिए पहले हमें लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद एक महीने के बाद टैस्ट देने से वह लाइसेंस मिलता है और कमर्शियल चलाने के लिए एक साल की अवधि लगती है। अब ये गरीब लोग क्या करेंगे? इसलिए हमने कानून में सुधार किया है कि ई-रिक्शा के बारे में दस दिन की ट्रेनिंग एसोसियेशन देगी या उस बारे में कोई और संस्था देगी। दस दिन के बाद उन्हें लाइसेंस मिलेगा और वे रिक्शा चला सकेंगे। हम गरीबों की इस समस्या के लिए बिल में ये दो बातें लेकर आये हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन उसे मंजूर करे।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, be taken into consideration."

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, इस विभाग के मंत्री नितिन गडकरी जी मेरे गृह प्रदेश से आते हैं, वे बड़े प्रभावशाली नेता हैं। लेकिन हम पिछले कई दिनों से यह कह रहे हैं कि यह यू-टर्न की सरकार है। यह सरकार जो बातें कहती है, उससे मुकर जाती है। इसलिए अब यह विधेयक चर्चा के लिए आ रहा है। इसमें अभी मंत्री जी ने कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं और एक साल का जो क्राइटीरिया रखा गया है, उसे भी बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम यह बिल रोजगार और कल्याण के लिए लेकर आये हैं।

16.13 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair)*

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल है कि यह बात आपको दो-तीन या चार महीने पहले भी पता थी। 7 अगस्त से पार्लियामैंट का सत्र था, जो 14 अगस्त तक चला। अगर अर्जेंसी थी तो 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आप यह बिल क्यों नहीं लाये? दो-तीन महीने में दिल्ली का इलैक्शन होने वाला है। आप इसके माध्यम से चुनावी भाषण करना चाहते हैं, इसलिए शायद आप यह बिल लेकर आये, ऐसा मुझे लगता है।

मैं मंत्री जी का 17 जुलाई का भाषण पढ़ना चाहता हूं, जो यू टयूब पर है और उसे आप सब भी देख सकते हैं। मंत्री जी ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की थी। उस रैली में गडकरी जी ने कहा था कि हमारी सरकार सचिवों की सलाह पर नहीं चलती, हमारी सरकार मंत्री चलाते हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि जो 0.65 वॉट की बैटरी लगेगी, हम इसे मोटर यान अधिनियम से बाहर रखेंगे। आरटीओ और पुलिस इन्हें परेशान नहीं करेगी और कोई चालान भी इनके बारे में जारी नहीं किया जायेगा। इन ई-रिक्शाज को रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। कार्पोरेशन्स और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल इनका रजिस्ट्रेशन करेगी। आपने यह भी कहा था कि जो रिक्शा चलायेगा, वही इसका मालिक होगा। हमें बड़ी खुशी होती थी कि मंत्री जी यह संशोधन लाये हैं।

इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मंत्री जी बाकी संशोधन भी बिल के साथ लाते, तो हमें बहुत खुशी होती। मंत्री जी ने पेपर में भी कहा था कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि जो ई-रिक्शा चलाएंगे उनको तीन प्रतिशत से कर्जा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की बात सुनी? क्या वित्त मंत्री जी ने गरीबों की बात सुनी? अगर सुनी है तो क्या इनको तीन प्रतिशत से कर्जा दे रहे हैं? आपने यह भी कहा था कि जो ई-रिक्शा लेंगे उनको गारंटी नहीं लगेगी, बैंक उसे तुरंत दे देगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बैंकों को फाइनेंस डिपार्टमेंट से तीन प्रतिशत वाला सर्कुलर जारी किया गया? इस बारे में जानकारी दीजिए।

आप ई-रिक्शा की बात कह रहे हैं, एक-दो लाख लोगों की मदद की बात कह रहे हैं। आपने तीन-चार महीने पहले कहा था, क्या उसके बारे में कोई प्रावधान किया है? अगर प्रावधान किया है तो उसे यहां डिक्लेयर कीजिए। देश में आधी आबादी महिलाओं की है। निर्भया कांड के दो दिन पहले दो साल पूरे हुए हैं। जब ई-रिक्शा आ रही है तो यह क्षेत्र महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर महिला ई-रिक्शा चालक होगी तो इसमें जो महिलाएं सवारी करेंगी, उनकी सुरक्षा के लिए यह ठीक होगा। क्या सरकार महिलाओं के लिए ई-रिक्शा चलाने की नीति बनाना चाहती है? अगर बनाना चाहती है तो सरकार इसके बारे में क्या डिक्लेरेशन करने जा रही है? इसके बारे में बिल में कहीं कुछ लिखा नहीं है। इस बिल में रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। सरकार को महिलाओं के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए भी डिक्लेरेशन करनी चाहिए।

आपने अभी दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको 14 अगस्त तक इसके बारे में डिसीजन लेना है। अगर आपको 14 अगस्त तक आपको डिसीजन लेना था या आपको पहले से पता था और 2 अगस्त को राज्य सभा टीवी पर स्पोक्सपर्सन आकर कहते हैं कि 14 अगस्त से पहले डिसीजन लेंगे, इल्लीगल मामले दूर होंगे। अब दिसंबर महीना आ गया है यानी पिछले पांच महीने से ई-रिक्शा वालों की हालत खस्ता हो रही है। पिछले पांच महीनों से अगर किसी ने देरी की है तो उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार को गरीबों के प्रति जितना संवेदनशील होना चाहिए उतनी नहीं है।

अभी आदरणीय मंत्री जी मेरे राज्य के बड़े प्रभावशाली नेता हैं। इन्होंने अभी कहा कि मानव चालित रिक्शा को हटाना चाहते हैं। क्या ई-रिक्शा आने से मानव चलित रिक्शा हटेगी? मेरा मानना है कि ई-रिक्शा आने से मानव चलित रिक्शा,साईकिल रिक्शा नहीं हटेगी। इसके लिए आपने प्रोत्साहन की क्या नीति बनाई है? क्या पुराने रिक्शा के बदले कोई सब्सिडी देना चाहते हैं? इनकी आय स्तर बढ़ाने के लिए कोई पहल कर रहे हैं? ई-रिक्शा तो आएगी लेकिन क्या साईकिल रिक्शा कम होगी? देश में दो करोड़ के आसपास यह फिगर है। मेरा कहना है कि सिर्फ ई-रिक्शा आने से साईकिल रिक्शा नहीं हटेगी क्योंकि जो आदमी हर रोज के काम से अपनी रोटी कमाता है, उसकी समस्या तो ई-रिक्शा आने से हल नहीं होगी।

आदरणीय मंत्री जी ने अभी टेरी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि टेरी को सर्वे करने के लिए कहा गया। टेरी की ही रिपोर्ट हाई कोर्ट ने साईड की है। हाईकोर्ट ने कहा -

"â€¦the e-rickshaws tested did not meet criteria for exemption under the CMV Rules, and the components and processes used in the manufacturing of e-rickshaws are not standardized....".

Observing the TERI Report, the Bench added that :

"â€¦Unregulated growth of e-rickshaws in such huge numbers raises concerns related to the safety and security of the passengers. It is strongly felt that e-rickshaws should be regulated to ensure safety and security of the passengersâ€¦".

इस बिल में पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में दूर-दूर तक कोई बात मेंशन नहीं है, सिर्फ ड्राईविंग लाइसेंस में बदलाव के बारे में बात की गयी है। क्या आप ई-रिक्शाज़ को जी.पी.एस. टैक्नोलॉजी से जोड़ना चाह रहे हैं? क्या जो ई-रिक्शाज़ चलेंगे, उनमें यात्रियों का शोषण नहीं होगा, उनके किराये में मनमानी नहीं होगी, इस बारे में कोई भी बात इसमें मेंशन नहीं है। जो रिक्शा चालक इसे चलाएगा, उसके जीवन बीमा के बारे में इसमें कोई बात मेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो एक्सपायरी है, उसके बारे में और जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा आने वाले समय में तैयार होगा, इस बारे में सरकार के पास कोई स्पष्ट नहीं नहीं है। आज मंत्री जी ने उबर कैब की बात कही, मैं उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा, उन्होंने यह बात ताकत से कही। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मैं मंत्री जी का और अभिनन्दन करूँगा, उन्हें उबर कैब के बारे में भी आने वाले समय में कैब रेगुलेशंस लाने की दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि यह छोटा-सा अमेंडमेंट लाकर यह मामला हल होने वाला नहीं है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से कहना है कि यह जो बिल लाया गया है, वह सिर्फ दिल्ली के चुनाव को देखते हुए लाया है। इसका इस्तेमाल आप दिल्ली के चुनावी भाषण के रूप में करना चाह रहे हैं। इसलिए यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाए, यह मेरी मांग है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूँ। उनमें गरीबों के प्रति अपार दयालुता है, वे बहुत उदार हैं। अभी-अभी उन्होंने कहा कि पाँच महीने हो गये, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक दिल्ली का मास्टर प्लान नहीं है, जबकि 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही है। ...(व्यवधान) छः महीने में हमने क्या किया है, यह कल यहाँ पर आपको दिखा दिया है। जून, 2014 तक जितनी भी कॉलोनियाँ बनी थी, उन्हें हमने रेगुलराइज कर दिया। छः महीने में इसे हमने कर दिया। जहाँ तक इन्होंने सेफ्टी की बात कही है, ये सारी बातें मोटर एक्ट में कवर्ड हैं। मल्टीप्लीकेशंस ऑफ दी एक्ट से काम नहीं चलता है और उसमें केवल अननेसेसैरिली बातों में उलझाने वाली बात है। मोटर व्हिकल एक्ट में पहले से जो तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं, वहीं यहाँ भी एप्लिकेबल होंगे। You need not worry about that as that matter has been taken care of.

दूसरी बात यह है कि आज के समय में आदमी, आदमी को खींचेगा, यह कितना इन-ह्युमैन लगता है। हमें नहीं लगता कि हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इंसान, इंसान को खींच रहा है, ऐसे में शुरुआत यहाँ से किया गया है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं श्री नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की है कि अमानवीय कार्य को इस देश से हटा दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। एक इंसान जब रिक्शा खींचता है, अभी ई-रिक्सा और ई-कार्ट की शुरुआत हो रही है, जब धीरे-धीरे ये सब वीड-आउट हो जाएंगे तो रिक्शा पुलर हैं, ह्युमैनबींग द्वारा वे अपने-आप ही खत्म हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छा यह प्रोविज़न है, जिसके बारे में आपने शायद कभी न सोचा होगा, इसमें तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर उनको कर्ज़ दिलाया जा रहा है। जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते थे या जो रिक्शा चलाते थे, वे तीन प्रतिशत के हिसाब से लोन लेकर रिक्शा पुलर उसके ऑनर हो सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित वही सेक्शन होगा, जो ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज है, दलित हैं, उनके यहाँ मिनिस्ट्रीज में फंड भी है, इसके माध्यम से they will be in a position to utilise their funds, which are already lying in different Ministries, to the optimum level. मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की बात है। I am very surprised with the argument offered by the hon. Member against this. This is not a viable argument that can be sustained.

चार अक्टूबर को माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो रूल्स फ्रेम हुए थे, I think those rules were circulated on 8th October. उसके तहत बहुत सारी चीजें एवं सेफगार्ड्स कर लिए गए थे। टेरी ने जो स्टडी की है, TERI has studied properly कि 2000 वाट तक जितने रिक्शा हैं, वे किसी तरह से हेजार्ड्स नहीं हैं। They should be allowed to play. अब दिल्ली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आम आदमी को फायदा होगा, आम आदमी उसे एफोर्ड कर सकेगा। यह स्कीम एक बार दिल्ली में लांच हो जाए, अब इसे रेग्लेट कर दिया गया है, पहले रेग्लेटेड नहीं थी तो एक इंसीडेंट से यहां तमाम कन्क्लूजन ड्रॉ कर लिए जाते हैं। However, those lacunae

have also been taken care of. इसलिए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं, इस बिल को पास किया जाना चाहिए। इससे जल्दी में कोई बिल पास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अक्टूबर में मीटिंग हुई, उसके बाद सेशन चालू हुआ। यह नहीं देखा जाना चाहिए कि in view of elections commencing in Delhi, this Bill is being introduced and being passed. इसको इस लाइट में नहीं देखना चाहिए। I also support the name of the scheme. The Ministry has announced that there is a proposal of launching the scheme called Deen Dayal e-rickshaw. I support this also कि दीन दयाल रिक्शा स्कीम के नाम से इसको लांच किया जाना चाहिए। इस तरह से, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा any other welfare measures can be taken in the interests of these rickshaw pullers and poor people.

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Sir, I thank you for this opportunity to participate in this discussion on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014. Before I could speak, I would like to thank our leader, Puratchi Thalaivi, Amma who has enabled me to be present in this House.

At the outset, I would like to know whether this Bill would benefit 'aam aadmi' or would affect 'aam aadmi', I mean the common man. E-rickshaws like overnight flies were seen on the roads of the Capital. They were carrying people without any license either for the drivers or for the vehicles. The choked roads of Delhi had to face added problems. This had resulted in fatal accidents involving passengers of these e-rickshaws and also the public on the road. The High Court in Delhi had to step in and put a ban on these e-carts and e-rickshaws.

The unauthorized operations of these vehicles are to be legally permitted. That is why, this Bill has been brought before this august House. I would like to point out here that a great founder and leader Anna was for abolishing manual pulling of rickshaws. He wanted to avoid a barefoot man pulling another man on the wheel. I find the present Bill seeks to mechanize the rickshaws to overcome the drudgery of the manual pulling. From humanitarian point of view, this is a welcome step.

The proposed amendment to sub-section (1) of the Section 7 of the Motor Vehicles Act, 1988 is to relax the rules for granting license to the drivers of these vehicles. The earlier conditionality is that one should have a driving license to drive a light motor vehicle is being relaxed. The previous experience of riding manually pulled rickshaws will now be enough to drive these electric powered three-wheeled vehicles.

The concern of the Supreme Court in the safety and security of the general public must be upheld. I do not know whether a thorough scientific study has been conducted about the safety and security of these vehicles. People still feel that these kinds of vehicles can be permitted only on roads where no other motor vehicles ply. I would like to know whether this common fear of the common man has been removed or not. It is a main question. However, the Government has brought this Bill to provide a viable economical mode of transport. Since it is battery operated, it may be cost effective. But, it is yet to be proved whether it would be viable as a risk free mode of transport.

No doubt, the e-rickshaws are environment friendly. But if they are moving along with other petrol and diesel vehicles, the gain from non-pollution may be lost. This risk factor would not be a guarantee for life. Hence, I would urge upon the Government to take care of this.

The manufacture, maintenance and the equipment of the e-carts or e-rickshaws must have an eye on safety and security of passengers. That is why, we find in place Clause 2 of the Bill that empowers the Central Government to make rules in respect of such specifications.

In the long run, if this legislation is to really benefit the poorer sections of the society, the Government must ensure that such vehicles are owner-driven. With the administrative powers left with the Government, care must be taken to regulate it in this new unorganised sector that would be coming up with the passing of this Bill.

When it comes to unorganised sector, I am reminded of the Beedi workers in my Tenkasi Constituency. They were languishing for long without a minimum assured salary and medical facilities for their family as also educational facilities for their children. With great efforts, the Centre was made to yield to recognise this unorganised sector. Beedi workers are getting some justice now. I would urge upon the Union Government to ensure the welfare of the newly emerging unorganised labour class with the passing of this Bill.

When rules are relaxed in the case of issuing licence to individual drivers, their poor status is taken into consideration. The Bill states that people upgraded from the manually pulled rickshaws will get employment. That must be translated into realty. Only the deserving people must be allowed to operate these e-rickshaws with responsibility both towards passengers and their own vehicles. I would urge upon the Government to evolve a mechanism to see that syndicates of owners are not formed. Then it may lead to a situation like bringing up a monster.

I want to bring to the notice of the Government that most of the drivers operating rickshaws in general are an exploited lot as they are mostly migrant labour. Hence the Government may involve Resident Welfare Associations to identify suitable people to run these e-rickshaws as owner-driven vehicles. Area specific permissions may be given so that the drivers remain under the watchful eyes of the RWAs. This will help us to avoid unlawful and illegal activities in the neighbourhood areas. We can also strengthen the neighbourhood watch system which will give security to people living in different parts of Delhi.

I urge upon the Government to ensure that really the needy people are benefited through the operation of e-rickshaws in the city of Delhi. The experience gained in the national Capital may also help other States in due course.

Welcoming this Bill carefully with support, I conclude. Thank you.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in this august House on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014.

The definitions that have been proposed to be included in this Bill are in my opinion appropriate and necessary as they take into account very valid reasons that were otherwise missing from the purview of the Act under discussion. They make matters further clear and are assistive for the Act.

Moving to section 7 of the principal Act, the relaxation of driving licence to e-cart or e-rickshaw I believe is a very good move. But there must be regulation in respect of issuing driving a licence. Otherwise it might lead to a bad impact on traffic.

I would like to bring to the notice of the House that our hon. Chief Minister Mamata Banerjee has introduced a unique scheme that has brought 6,000 manually pulled rickshaws under green rickshaws - solar-powered e-carts or e-rickshaws - to provide employment as well as to provide pollution-free environment to our new generations.

On behalf of my party I would like to extend support to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014. But I would like to request the hon. Minister through you that the Government should consider including the following points. First, the number of passengers on board should be restricted in order to avoid accidents. Secondly, restriction on quantity of goods also should be implemented. Thirdly, the Government might consider bringing the passenger on board and those caused harm by e-cart or e-rickshaw under insurance policy coverage in order to provide financial assistance to them.

Thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, *Namaskar.* In this age of e-governance, it is only appropriate that we also have e-rickshaw, e-cart, e-dhobi and e-*gareebs* also.

Sir, what I understand from this Bill is that it wants to regularize e-rickshaws and e-carts in the national Capital. We understand the urgency of the Government. With the elections around the corner, it is obviously understandable. There is no problem. If they did it, why would you not do it? Nobody cares for the country. It is a question of vying for each other's throat. Since they did it, it is justified that you do it.

What I have heard is that these e-rickshaws are described as 'special purpose battery-powered vehicles' and we are limiting number of passengers to only 4 persons and the weight of baggage to 40 kilograms. How can the police constable, who till yesterday could not challan them, be able to check the number of passengers and weight of baggage? The hon. Minister has said- it is on record- that the traffic police cannot challan these vehicles. On the one hand, you are putting restrictions; on the other hand you are informing the law enforcement agencies that they cannot take action against them. We know that all across India when vehicles are meant to carry six people, they carry sixty people. You come from an illustrious State where we only see pictures of people bulging out of all kinds of vehicles.

What worries me is that the name of a great statesman, a lover of India, a true Hindu Shri Deendayal Upadhyay has been used in this project by the hon. Minister. We have great respect for the hon. Minister. He is the person who has paved the way for a group of corrupt people to be thrown out and a new group to have come in. He has done a commendable job for this country. We are all praise for him. He has led his party to success. But at the same time, I must say that there are doubts whether the name of a great person like Shri Deendayalji should have been used in this kind of a thing. From a little bit that I have read about him, I can say that he was a very strict man, always obeyed social laws and was always very disciplined. So giving a name connected with that kind of a personality only shows that there is no much concern for his ideals in today's new set-up which is unwilling to accept that the roads of Delhi are very choked. If you have gone recently to Ashoka Road, you may have noticed that the road which is the main thoroughfare has been blocked from both sides. People who have homes there, cannot reach their homes. They have to go and live with other people. Some of them came to me. I live next door on Feroz Shah Road. They came knocking at my door wanting to know if they could spend the night there. I was a little shaky about that.

The whole world is now thinking of modern means of transport. With fossil fuel becoming more expensive- everybody knows that 50 per cent of India's import Bill is petroleum products- it is definitely commendable that we think of alternative means of transport. I have *per se* no opposition to e-rickshaws or e-carts. It is welcome to have such things. But I would have preferred other kinds of vehicles also being considered alongwith e-rickshaws and e-carts. Just because the Court ordered to ban e-rickshaws because of 137 accidents involving e-rickshaws till June of this year and infants' death occurring in one of these accidents, this law has been brought in to subvert the court judgement. But that is also acceptable because in today's India everything is acceptable. I am not cribbing on that. All I am saying is, would the Government and the hon. Minister think about considering other kinds of vehicles like hybrid cars?

One or two companies brought in hybrid cars to India. One of them was Toyota. But the taxes were so high that finally they did not sell. All over the world today, hybrid cars have a separate lane; if you are driving a non-hybrid car, you cannot go on that lane and you are challaned. So, hybrid and electric cars have a separate lane and separate facility. It would be wise on the part of the Government if they consciously starting from these c-carts and e-rickshaws, not only telling us that lakhs of families depend for their *rozi roti* on making a mess of the already badly congested Indian roads, they actually start thinking about getting better kind of vehicles which are low emission, less pollution and less usage of fuel and more environment friendly.

I would request the hon. Minister that he should re-think about this, especially when Delhi is one of the most polluted cities in the world, Delhi needs his kind benevolent look. I hope that he would be willing to re-think and as this motley people – I am escaping because they are not there – said, 'send it to a Standing Committee. I would request that he may consider this as a positive note and re-think on it. I thank you and conclude, without any support.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you for giving me this opportunity to speak on this Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014.

It is a very smart and a sensible amendment that we are looking at right now. 'Smart' I say because the concept is smart. It is also a very sensible move because e-rickshaws are operated under batteries, and they have motors. So, it has to come under the Motor Vehicles Act. These e-rickshaws are very important if you consider the smart India concept and if we want to protect our environment and if we want to use much better ways low cost transport, then this is the solution that we have. In that case, when the Delhi Government had banned the e-rickshaws in 2014, I would like to say that it is a welcome move from the Government of India that they want to bring in this amendment, by which they want to regularize e-rickshaws and e-carts.

My only concern is this; this might be keeping in mind the one lakh e-rickshaw owners that we have right now. But we have to see that with the one lakh e-rickshaws, there will be at least four people traveling in that. We should also consider the safety of these four lakh people and the safety of the people who are on the roads, when they are put on the road. How much are we compromising on safety, because we are saying that we will give them licenses? They would not have to go through many hassles as the normal commercial vehicle owners have to go through. We will make it easier for them; they do not have to hold the learners license for one year. But how much are we compromising on the safety standards? Holding a drivers license is not just learning to drive the vehicle. They also know the rules of the road. That has to be taken care of. We also see that in the Special CMV 16th amendment for e-rickshaws, there have been certain specifications. These specifications are given for 2000 Watt e-rickshaws. They say that there will be a minimum of four passengers and with a limit of 40 kgs. and if you are transporting goods, it has to be under 310 kg. and the maximum speed up to 25 km. etc. Now, in the Act, in the definition it says that the e-rickshaws can have a motor of up to 4000 Watt. So, there is this gap between 2000 Watt and 4000 Watt – what should be the safety standards of these e-rickshaws. That has to be mentioned; it is not mentioned in the Bill.

I would also like to say that in today's Government, Shri Narendra Modi Ji has publicized the 'Make in India' concept. I think, it is a very good opportunity that we can bring it to the e-rickshaws also.

Presently, we see that for making e-rickshaws, we are importing all goods from China and assembling the e-rickshaws here. But if we make it mandatory that whatever e-rickshaws are being used in India should be made in India only, then we can encourage employment and see that there is quality control of the vehicles that are being built. It is because we do not know what kind of goods come from China. You cannot depend on the quality of Chinese products. So, it is better if we use made-in-India products for building e-rickshaws.

There are a couple of suggestions also. This can also be used for women empowerment. I do not know why our friends are saying that this is meant only for Delhi. This is an Act meant for the whole country. There are a lot of other cities which want to introduce e-carts in their own cities. Even in my constituency which is a rural constituency, I want to introduce e-rickshaws and empower women to drive them. Taking the country as a whole, I think, the hon. Minister should consider this Bill. This Bill should not be just looking at the Delhi elections. I hope that it should be for the whole country.

This is a very good Bill. I welcome this Bill and support this Bill on behalf of my Party and our leader Shri Chandrababu Naidu. If we introduce e-rickshaws in the capital of Andhra Pradesh, we would request the help of the hon. Minister in introducing them specifically in Andhra Pradesh and in other States as well.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं मोटरयान (संशोधन) विधेयक 2014 का समर्थन करता हूँ। ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के आने से दिल्ली या देश के अन्य शहरों में हाथ से रिक्शा खींचने वाले जो गरीब आदमी हैं, उन्हें राहत मिलेगी। केवल गरीब आदमी को ही राहत नहीं मिलेगी बल्कि देश में पॉल्युशन कम हो जाएगा। देश के कई शहरों में तीन पहियों वाला रिक्शा चलता है। इस रिक्शा चलाने वाले गांव से, दूर से आते हैं। अपनी रोज़ी-रोटी के लिए गरीब आदमी इस देश में रिक्शा चलाता है, हाथ से रिक्शा खींचने का काम करता है। उसका पूरा परिवार इस रिक्शा पर निर्धारित रहता है।

माननीय मंत्री महोदय, जो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि इसके पहले किसी ने यह सोच नहीं रखी कि जो गरीब आदमी है, जो हाथ से रिक्शा खींचता है, जो पूरी तरह से उस रिक्शे पर निर्धारित रहता है, उसको राहत मिले। उस गरीब आदमी को इससे पहले किसी ने देखा नहीं है। उसकी गरीबी को किसी ने नहीं देखा। उसके ऊपर एक तरह से जुल्म होता है। उस जुल्म को किसी ने नहीं देखा, मोदी सरकार के मंत्री जो मेरे महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने देखा। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में और पुरानी दिल्ली में हाथ से रिक्शा खींचने वालों की संख्या अधिक है। देश के अन्य शहरों में ऐसी संख्या बहुत सारी है। गरीब लोगों को ई-रिक्शा खरीदने हेतु, केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता देने का प्रावधान अगर होता तो गरीब आदमी रिक्शा खरीद सकता और रिक्शा खरीद कर अपना जीवन चला सकता है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि पैसे वाला आदमी, रिक्शा खरीद कर गरीब आदमी को रिक्शा चलाने के लिए देगा और गरीब गरीब ही रह जाएगा और इस विधेयक का कोई उपयोग गरीब आदमी को नहीं होगा।

महोदय, इस विधेयक के अनुसार माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि रिक्शा में कितने लोग बैठने चाहिए, इसके लिए इसमें प्रावधान तो है, लेकिन वस्तुस्थिति में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को स्कूलों में ले जाने वाले रिक्शा में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे बैठते हैं और कई बार रिक्शा पलट जाती है या रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं कि उनमें स्कूल जाने वाले बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। मैं इस बिल के अवसर पर माननीय मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले दलालों की संख्या आर.टी.ओ. कार्यालयों में दिन-

प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर इसके बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोई निर्देश जाए और राज्य इस बारे में कोई नियम बनाएं तो गरीब आदमी को जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल सकता है।

मैं अपनी और अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Mr. Chairman, Sir, thank you. While introducing the Bill a day before and today before the debate started on this Bill, the hon. Minister had expressed his opinion on this Bill. Friends from this side also made their observations on this Bill, saying that the Government has brought this Bill keeping in view the elections in Delhi. However, I would like to tell that on my own behalf and on behalf of my Party, the Telangana Rashtra Samiti, we are supporting this Bill keeping in view the interests of rickshaw pullers as well as the cart pullers, particularly of Delhi, as their livelihood is dependent on this.

It is a small Bill. Only two clauses are going to be amended. One amendment is with regard to licensing. The requirement for having a learner's licence for a period of one year has been relaxed. So, there is no problem in supporting it. But there is a problem regarding the second amendment, amendment to section 2(a). Probably, the courts may once again intervene also. I will read it out. It says:

> "For the purposes of this section, "e-cart or e-rickshaw' means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding 4000 watts, having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with such specifications, as may be prescribed in this behalf."

In this Bill, there is no specification or prescription as to what type of vehicles would be e-rickshaws or e-carts. Nobody knows anything about the speed of the vehicle and about the power of the motor. The Memorandum regarding the delegated legislation, which is mentioned in page 4, states, "Clause 2 of the Bill empowers the Central Government to make rules in respect of specifications relating to the manufacture, construction, adaption, equipment and maintenance of the e-carts and e-rickshaws."

What would be the strength of the chassis of the vehicle, whether it is e-rickshaw or e-cart? What is the speed at which will they be plying on the roads of Delhi or for that matter any other city, as my friend has now made a request that it should be introduced in other cities also? Nobody knows it.

The Principal Act was brought in 1988. At that time I was young and was a new entrant in the legal profession.

17.00 hrs

That was the Act which was then brought forward with many amendments. The specifications were mentioned with regard to the other vehicles in the principal Act. But here, the Government, for the reasons best known to them, have not specified the specifications relating to manufacture, construction or adaptation of the vehicles.

With these reservations, we support the Bill. Thank you.

17.0Â½ hrs (Hon Deputy-Speaker *in the Chair*)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, as Shri Gadkari has said, he has brought forward this Bill on sympathetic grounds for the poor rickshaw pullers. There is a reason and that is election is coming in Delhi. I want to move some amendments or you may call them suggestions to this Bill.

In clause 2A(2), it is said "â€¦having three wheels for carrying goods or passengers, as the case may be, for hire or reward, manufactured, constructed or adaptedâ€¦"

Mr. Minister, you have introduced this Bill stating that e-cart and e-rickshaw pullers should be helped. I would like to say that if you are actually, seriously sympathetic to the poor people, there are lakhs and lakhs of motorized mechanical tri-rickshaws driven by diesel as the fuel. These are run by diesel engines. They are only the cheap mode of rural transport for passengers and goods. If you see in West Bengal and some other parts of India, such tri-cycles are there running in the rural parts of India. Also, they are carrying a load of one tonne and more carrying 12 to 15 passengers. They are not covered under the Motor Vehicles Act including the current one. They are not covered in this Bill also. Actually, they are also poor. In this connection, I would request the hon. Minister to cover the tri-cycles also as they are also poor. Sometimes, the police people are harassing them but they are running their tri-cycles every day, in every corner of our country. So, if you are sympathetic to the poor people, please cover these e-rickshaws also.

I have to say one more thing. In the Statement of Objects and Reasons, you have stated that it will provide employment to innumerable people who have upgraded from the manually-pulled rickshaws to the electric-powered three-wheeled vehicles. If it is true, kindly consider one thing. Suppose we have five lakh manually-pulled rickshaws. You are going to give licence to two lakh e-rickshaws. Are two lakh e-rickshaws

sufficient to replace the five lakh manually-pulled rickshaws? Where will the remaining three lakh people go? They are also poor. They will also be unemployed. Where will they go and what will you do with them?

Here, I have a suggestion to make. I want to say that if you are really interested in the poor people, then, please do provide some rehabilitation to these poor rickshaw pullers. I wish to add these two things to this Bill.

Finally, I want to say that there is nothing to hurry with this Bill. I have a suggestion. Please send the Bill to the Standing Committee. After getting the recommendations from the Standing Committee, then, finally discuss it in the House and pass the Bill.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की इस बिल के पीछे जो भावना है, जो उद्देश्य है, वह बहुत अच्छी है। क्योंकि गरीब को रोजगार और सुविधा देना सरकार की ड्यूटी होती है और यह सरकार इस पर सही रूप में काम कर रही है। इस बिल का हम लोगों को कितना लाभ होगा, यह हमें हमारे विरोधी पक्ष के मित्रों के द्वारा जो लॉजिक दिया जा रहा है, उससे पता चल रहा है। ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष इलेक्शन जीतने के लिए यह बिल लेकर आए हैं। यदि आम लोगों को लाभ होगा तो वोट डालेंगे। मुझे यह लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से अपनी जो बात रखी है, वह बिलकुल सही है। कई मित्रों ने यह कहा है कि इलेक्शन की वजह से यह किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में तो हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई महीना नहीं होगा, जिसमें इलेक्शन नहीं होता है। अगर हम यह सोचेंगे तो फिर कोई बिल ही नहीं आएगा। इसलिए हर बात को इलेक्शन से जोड़ना ठीक नहीं है। क्या गरीब को रोजगार देना गलत है? क्या किसी को सुविधा देना गलत है? मैं ऐसा मानता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की दलील में कोई दम नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी के द्वारा लाए गए इस बिल को पास करना चाहिए।

महोदय, मेरे इस संबंध में कुछ सुझाव हैं कि जब भी सड़क की या मोटर व्हीकल की बात आती है तो एक्सीडेंट्स की बात भी सामने आती है। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं जो कम्पनियों की कमियों के कारण होते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि चूंकि इस बिल में तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि इसे जल्दी पास करना है, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं कम्प्रीहेंसिव रूप से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, व्हीकल पॉलिसी आनी चाहिए क्योंकि ट्रांसपोरट्र्स की बहुत समस्याएं हैं, इसमें बहुत मुश्किलें हैं। खेती से जुड़े लोग ट्रांसपोर्ट की वजह से परेशान होते हैं। एक ही स्टेट में एन्ट्री फीस होनी चाहिए, हर प्रदेश में जाने पर चार्ज नहीं किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस केवल क्वालीफाइड लोगों को ही दिया जाना चाहिए। हमारी पंजाब की सरकार ने ड्राइविंग स्कूल खोले हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पर सैंकड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। इसके अलावा एक्सीडेंट करने पर जो सजा है, वह बहुत कम है, इसे बहुत सख्त किया जाना चाहिए। मैन्युफेक्चरिंग को सड़कों के साथ जोड़ना चाहिए। हमने हाईवे बना दिए हैं, फ्लाईओवर बना दिए हैं, लेकिन फिर भी जाम लग रहा है। इसलिए सड़क और मैन्युफेक्चरिंग को जोड़ कर कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट आसान और लोगों के लिए सुविधाजनक बन सके। इसके साथ ही मैं इस बिल का सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मोटरयान अधिनियम बिल आदरणीय गडकरी साहब ने पेश किया है और यह सही है कि आदमी ही आदमी को ढोता रहा है। इंसानी स्वभाव के खिलाफ इंसान जानवर की तरह से रिक्शा चलाता रहा है। एक कहावत है कि जाड़ा हो गर्मी हो या हो बरसात डाकिया जरूर आएगा। उसी ढंग से जाड़ा हो, गर्मी हो या हो बरसात रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा चलाता रहता है। आज से तीस साल पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश में शोषण की कई चक्कियां हैं, जिनमें रिक्शा चालक का मानसिक रूप से शोषण होता है, आर्थिक रूप से शोषण होता है और शारीरिक रूप से शोषण होता है। उन्हें अपमानित किया जाता है। उनको अपशब्दों को झेलना पड़ता है। पेट पालने के लिए उन्हें यह सब अपमान सहना पड़ता है। आज बेरोजगारी का सवाल है और ई-रिक्शा के ऊपर यह बिल आया है। सरकार उनके बहते हुए आंसुओं का ख्याल रखते हुए सरकार यह बिल लायी है। यह सही है कि इस देश में कोई खाते-खाते मरता है, कोई रोते-रोते मरता है, लेकिन रिक्शा वाले हमेशा बोझ ढोते-ढोते ही मरते हैं। उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए। उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए। उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का इंतजाम किया जाए। खासकर, जो रिक्शा चालक उत्तर भारत के यहां हैं, बिहार और यू.पी. से हैं और अन्य ज़गहों से यहां पर हैं, उनकी गरीबी, गुरबत सबका ख्याल रखें। वे टीबी के पेशेन्ट हो जाते हैं। इस कारण उनकी कम उम्र में ही मौत हो जाती है। इसलिए उनका जीवन बीमा होना चाहिए। उनके लिए इतना इंतजाम होना चाहिए कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। जो यह विधेयक लाया गया है, इसमें हम लोग इस विधेयक का नहीं, बल्कि इसके तरीके का विरोध कर रहे थे।

इसलिए मैं एक बार यही कहूंगा कि एक आम आदमी, जो कि आदमी का बोझ उठा रहा था, उस बोझ को यह ई-रिक्शा कम करेगा। यही बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मोटर यान (संशोधन) एक्ट, 2014 पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने दिनांक 17 जून, 2014 को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी, जिसमें ई-रिक्शा वालों को बुला कर उसमें वायदों की झड़ी लगा दी गयी थी कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन मुक्त हो जाएगा, 650 वाट के इंजन से कम वाले को कोई परेशानी नहीं होगी और चांद-सितारे तोड़ लाने की बड़ी-बड़ी बातें की गयीं। उसके बाद जब उसके महीनों बाद पूछा गया कि क्या हुआ तो फिर वे इस बात से मुकर गए और यह कहा गया कि इसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा, लीगली यह पॉसिबल नहीं है। वैसे तो बहुत-से यू-टर्न थे, पर उनमें से गवर्नमेंट का एक यू-टर्न यह भी है कि छः महीने से अब यह कहा जा रहा है कि यह गरीबों की रोज़ी-रोटी का सवाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ई-रिक्शा चलाने वाले लोग करीब तीन लाख परिवार हैं, इसका मतलब करीब बारह से पन्द्रह लाख लोग छः महीने से क्या खा रहे थे, इसके बारे में क्यों नहीं चिंता की गयी? अब इस बिल को आनन-फानन में पेश किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं। इस ई-रिक्शा का वैसे तो मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा है, लेकिन यहां पर ई-रिक्शा का मतलब इलेक्शन रिक्शा है। यह जो इलेक्शन रिक्शा के संबंध के बिल लाया जा रहा है तो यह बात तो ठीक है कि आप उन गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन, आप उनके बारे में उसी वक्त क्यों सोच रहे हैं जब इलेक्शंस आते हैं?

महोदय, मेरे साथी चंदूमाजरा जी कह रहे थे कि इलेक्शंस तो पूरे साल चलते रहते हैं। लेकिन, क्या आप सारे बिल्स इलेक्शंस के दो महीने पहले पास कराएंगे? जो-जो बिल आ रहे हैं, जैसे कल वैंकैय्या नायडू जी अन-ऑथोराइज्ड कॉलोनियों का जो बिल लेकर आए थे, वह भी दिल्ली के इलेक्शंस से रिलेटेड है। कानून की भाषा और बोलचाल से यह लगता है कि इसमें नए ई-रिक्शा खरीदने को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिनके पास पुराने रिक्शे हैं, वे कहां जाएंगे? जो पुराने रिक्शे हैं, उन्हें भी इसी कैटेगरी में रखना चाहिए। बीजेपी की तरफ से यूपीए सरकार के बारे में जो पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, सेम पॉलिसी पैरालाइसिस मेरे ख्याल से इस सरकार को है। इसके आठ महीने हो गए। इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं लायी। अब सिर्फ बिल में अमेंडमेंट करके आप यह समझिए कि उनको एक लॉली-पॉप दिया जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ई-रिक्शा में किराया कम लगता है, यह पॉल्यूशन नहीं करता और यह तंग गलियों में भी जा सकता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनके रजिस्ट्रेशन की फीस करीब चार-पांच लाख रुपये के आस-पास होगी। गरीब आदमी इसे नहीं उठा सकता है। इनका कोई एसोसिएशन भी नहीं है। इसलिए हर आदमी को इसकी लाइसेंसिंग के लिए दफ़्तरों में धक्के खाने पड़ेंगे।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं और यह सजेशन भी देता हूं कि आप उन्हें इसकी लर्निंग लाइसेंस देने के लिए या इसकी ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली में जगह-जगह कैम्प लगवाएं ताकि उन्हें इधर-उधर दफ़्तरों में न जाना पड़े। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि ई-रिक्शा के बारे में एक सेफ्टी स्टैण्डर्ड का कानून पास किया जाए और पिछले दिनों उन्हें एक किस्म का जो डैमेज हुआ है, उसके बारे में भी कुछ न कुछ प्रावधान किया जाए। जैसे कोई एक आदमी ही ई-रिक्शा खरीद कर उसके ड्राइवर्स न रख ले, तो जिनके पास साईकिल रिक्शा हैं या हाथ से खींचने वाले रिक्शा हैं, उन्हें सस्ते लोन पर ई-रिक्शा प्रोवाइड कराएं ताकि वे रिक्शा मालिक कहला सकें। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : सर, भगवंत जी का भाषण सुन कर, उनकी आवाज़ सुन कर कि हाउस में कुछ हो रहा है, ऐसा सुनकर मैं भाग कर हाउस में आया।...(व्यवधान) मैं यह लाइटर वेन में कह रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : सर, जोश के साथ होश भी चाहिए। जोश इधर है, होश उधर है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस गरीब व्यक्ति को जो हाथ से रिक्शा चलाता है, आज हमारे देश में युग परिवर्तन होने के बाद भी व्यक्ति-व्यक्ति को ढोता है। कोई रिक्शे के, पालकी के माध्यम से ढोता है। पहली बार ई-रिक्शा के माध्यम से सरकार ने एक नयी शुरुआत की है और ई-रिक्शा के कानून में परिवर्तन करना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि आज भी बहुत से लोग यहां पर बेरोजगार बैठे हैं। मेरे माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि इस कानून को परिवर्तन करने की जल्दी में क्या आवश्यकता थी। इसे कोई दिल्ली के चुनाव से जोड़ रहा है, लेकिन किसी को उस गरीब व्यक्ति की चिन्ता नहीं, जो दो लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं, उसको कानूनी जामा पहना कर उनको काम करने दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर पहली बार सरकार ई-रिक्शा के माध्यम से मोटल व्हीकल एक्ट में परिवर्तन भी कर रही है, लेकिन आजादी के 65 साल बाद अपने देश में हम यह कहते हैं कि इस देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तमाम राज्यों के आरटीओ करप्शन के अड्डे बने हुए हैं। आम आदमी को लाइसेंस से लेकर परमिट तक दलालों के माध्यम से मिलता है। पहली बार एक परिवर्तन की दिशा बनी है। एक गरीब व्यक्ति से परिवर्तन बना, यह परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। इस देश के अंदर एक व्यापक परिवर्तन हमारे माननीय मंत्री महोदय करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन इस देश के अंदर उस करप्शन को बंद करेगा, जिसको आजादी के 65 साल बाद हम बंद नहीं कर पाए। वह करप्शन बंद होगा, जिसकी आम जन आवश्यकता महसूस करती है। इस देश के अंदर ई-गवर्नेंस के माध्यम से आज दुर्घटना में पांच लाख लोगों की जगह डेढ़ लाख लोग मरते हैं। सड़क दुर्घटना के लिए हम सब लोग चिन्तित हैं, इसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए व्हीकल के अंदर व्यक्ति सुरक्षित हो और व्हीकल सुरक्षित बने, इसके लिए नये प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार सरकार ऑन लाइन परमिट और ऑन लाइन लाइसेंस की व्यवस्था कर रही है। इन गरीब व्यक्तियों को दूर-दूर तक लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़ता था, इसके लिए कई चक्कर उनको काटने पड़ते थे। लाइसेंस में करप्शन होता था। इसलिए एक नयी शुरुआत की है, करप्शन को समाप्त करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को कम्प्यूटराइज़ किया जाए। लाइसेंस लेने के लिए वह पास हुआ या फेल हुआ, उसमें हो रहा करप्शन खत्म होगा। इसीलिए ई-रिक्शा भी इस दिशा के अंदर एक कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें सारे देश के अंदर, जहां व्यक्ति ढोकर चल रहा है, चाहे वह रिक्शे में चल रहा है या अन्य किसी संसाधन से चल रहा है, उन संसाधनों को लाना जरूरी है। उन पर्वतीय इलाकों के अंदर भी, जहां व्यक्ति को व्यक्ति ढो कर जाता है, उसके लिए भी नयी टैक्नोलॉजी लाकर व्यक्ति को ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब की चिन्ता की। उस गरीब को कानून की परिधि में भी लाएं। उन्होंने इस कानून से शीतलता भी दी। कानून की परिधि में लाने से उसे कानूनी हक भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शीतलता भी मोटर व्हीकल एक्ट में अगर लाते तो शायद उस गरीब व्यक्ति को लाइसेंस से, परमिट से लेकर जो कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उनका समाधान होगा। इन दो संशोधनों के माध्यम से, गरीब ई-रिक्शा के माध्यम से ई-रिक्शा प्रणाली को ठीक से चला पाएगा, वहीं भविष्य के अंदर हम नये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जहां व्यक्ति भी सुरक्षित रहे और पारदर्शिता हो, इस सारे कानून को लाकर इस देश में व्यापक परिवर्तन करें। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने देश में एक नये परिवर्तन की शुरुआत की है। यह परिवर्तन की पहली शुरुआत है और भविष्य में इस परिवर्तन के माध्यम से इस विभाग में करप्शन कम होगा। इससे पारदर्शिता होगी, हम एक्सीडेंट्स को रोकेंगे और मानक रूप से सुरक्षित वेहिकल बनेंगे। इस दिशा में मंत्री जी ने व्यापक कदम उठाया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2014 clearly seeks to provide relief to drivers of e-rickshaws and e-carts by primarily relaxing the conditions to get a driver's license. No doubt, it is a noble intention.

The first speaker from BJP spoke about the inhumanity of people pulling rickshaws with their hands in this age. I, as a Congressman, completely agree with him. But I disagree when he said that the Congress does not care about the poor. I would like to remind the hon. Member

that it was under the Congress Government in Delhi that e-rickshaws were first introduced. E-rickshaws are smaller than auto rickshaws but can carry more passengers. They are as cheap as taking a cycle rickshaw ride. It is more convenient for the driver as well as for passengers. It can help passengers cover distances which are just beyond the comfort of walking.

In the introduction of this Bill there have been many questions raised about the norms of Parliamentary procedure. Hon. Minister Gadkari *ji* said: "We in the Opposition do not think that this Bill is important and that is why we are standing in opposition to the introduction of this Bill." I would like to ask a counter question to the hon. Minister. If this was so important to you, why was it missing from the list of the Business Advisory Committee? It should have been present in the list if it was so important.

Nonetheless, hon. Minister, there are many Bills which are important namely the Women's Reservation Bill, the Prevention of Communal Violence Bill, etc. We are all here to do serious legislative work but we want to follow Parliamentary norms and procedures. The way you have timed the introduction of this Bill clearly signifies that you have election objectives in mind. You think that in the Delhi Elections the voters will sit on these e-rickshaws, go to the polling booths and vote for the BJP. But that is not going to happen. I tell you, why? As Bhagwant Mann *ji* said, you had made huge sacrifices. You have overlooked huge areas of improvement. The day of 16th December will forever be a black day in India because of what happened to Nirbhaya. The whole country was shocked in silence. At that time, Shri Narendra Modi said कि बंद होगा दिल्ली में बलात्कार, अबकी बार मोदी सरकार। 5 दिसम्बर में क्या हुआ? 5 दिसम्बर में उबर कैब में यात्रा करती हुयी उस महिला पैसेंजर के साथ क्या हुआ और उससे हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि एक ड्राइवर जिसका रेप का पुलिस रिकार्ड था, ...(व्यवधान) उस ड्राइवर को ऐडहॉक परमीशन दी गयी थी। पुलिस का वैरीफिकेशन भी उसके पास था। मैं पूछना चाहूंगा कि how will you ensure that what happened to the passenger of Uber cab will not happen to any female passenger of an e-rickshaw? How will you ensure that none of these drivers will have a case of rape? How will you ensure that all drivers, who get a license, will be cross checked with the National Crime Records Bureau? How will you verify and not allow such drivers to ply on the streets? Please take time to introduce this Bill. Do not be in a rush to win the votes on the seat of an election rickshaw. Think about women safety.

Verification of a driver is a very important procedure. We have seen it in the Uber cab case. I must remind the hon. Minister that when Aadhaar was introduced and the Government went on a large enrolment drive, Members, who are now in the Ruling Party and then were in the Opposition, said that in Aadhaar, we are overlooking many verification procedures. In this process, we are also giving Aadhaar cards to Bangladeshi immigrants to get the Bangladeshi vote bank.

Now, I want to put one question to the hon. Minister. The Prime Minister said that after May 16 th, all illegal Bangladeshis would flee. Can you ensure that out of all the licence holders of e-rickshaws, not a single illegal Bangladeshi will get a licence?

Sir, the hon. Members of Parliament from BJP only see Bangladeshis at the time of election. When they are in power and when they can do something about it, they are not ensuring any procedures, which you can see in this Bill. We have seen a 'U' turn on the land boundary agreement and now we have seen a 'U' turn on this. So, BJP must think about it. BJP is not thinking about the drivers. Giving licence will provide relief to one extent that these drivers face innumerable harassment, spot checks and their vehicles get impounded, they get pulled over by Police and they get harassed by Police and they are taken to jail. They come from a poor rural background, often from outside Delhi. They are afraid and they are threatened and intimidated. उनको आप कैसे बचाएंगे? लाइसेन्स लेने में कितना करप्शन होता है? एक ड्राइवर को लाइसेन्स लेने में ही 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए ब्राइब देना पड़ता है। क्या आप एनश्योर करेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट में कोई करप्शन नहीं होगा? ...(व्यवधान) किसी ड्राइवर को ब्राइब नहीं देना पड़ेगा, हफ्ता नहीं देना पड़ेगा? ...(व्यवधान) आप वह कैसे करेंगे?

Does the Minister actually have a solution for transport in mind? Delhi is one of the most congested cities. The Delhi Government under the Congress rule thought about decongesting the streets of Delhi. They thought about having Metro, which is now ranked as one of the best Metros in the world.

This Government has done this in order to please the manufacturers. They manufacture lakhs and lakhs of e-rickshaws which will actually lead to congestion of the Delhi streets. This Government must ensure that the manufacturers are put under strict guidelines to manufacture e-rickshaw within certain norms, and the tendering process and monitoring process must be transparent and open. We should ensure that family members do not benefit from political decisions.

Therefore, Sir, on the areas of women safety, on the areas of driver relief, on the areas of transport solutions, on the areas of monitoring and regulation, I feel that this Bill is weak and this Government could have done a lot more. Therefore, this Bill must be transferred to the Standing Committee.

Thank you.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो मोटर व्हीकल अमैंडमैंट बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं क्योंकि यह बिल देश के उस आवाम के हित को दृष्टिगत करते हुए लाया गया है जो पिछड़े, दलित और गरीब समुदाय से आती है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में रिक्शे को चला कर, लोगों और सामान को ढोने का काम करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर शायद ही इससे बड़ी अमानवीय व्यवस्था कोई और हो, जिसमें कुछ गरीब लोग साइकिल रिक्शा को स्वयं खींचते हैं। कड़ाके की ठंड हो, तपती हुई धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, वे ऐसा करने के लिए विवश हैं क्योंकि उन्हीं से उनके परिवार का पेट पलता है। अगर आज हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि वह इस अपमान भरे जीवन से ऐसे लोगों को मुक्त करना चाहती है और उनको यह एहसास दिलाना चाहती है कि आप एक इंसान हैं और आपको भी इंसान की तरह सम्मान से जीने का अधिकार है, तो हमें निश्चित रूप से इस बिल का स्वागत करना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Madam, you can continue your speech tomorrow.